

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 179 / 15

संस्थापन दिनांक : 16.04.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—रामवरनसिंह कुशवाह पुत्र रामलखनसिंह कुशवाह  
उम्र 30 साल निवासी हरीराम की कुईया थाना  
मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337, भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.02.15 को 13:00 बजे नैनोली के पास रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.02.15 को फरियादी बेतालसिंह दंदरौआ मंदिर पर आ रहा था उसकी मोटरसाइकिल आहत अरविन्द अ0सा02 चला रहा था तब दोपहर एक बजे नैनोली के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 को आरोपी चालक उपेक्षापूर्वक तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उनकी मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी जिससे अरविन्द के चोटें आई जिसे बेतालसिंह उपचार के लिए मौ ले गया। तत्पश्चात फरियादी बेतालसिंह ने थाना मौ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से थाना मौ में अप0क्र0 32/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 17.02.15 को 13:00 बजे नैनोली के पास रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. अरविन्द अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 17.02.15 को वह अपनी मोटरसाइकिल से अकेला दंदरौआ सरकार दर्शन के लिए जा रहा था तब मोड़ पर उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गयी जिससे उसे चोटें आईं फिर उसके पिता को फोन से घटना के बारे में सूचना दी जो उसे लेने आये और फिर उन्होंने घटना की रिपोर्ट लिखवाई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 17.02.15 को आरोपी ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा01 ने अरविन्द अ0सा02 को कारित उपहति के संबंध में साक्ष्य दी है लेकिन उपहति के संबंध में उभयपक्ष के मध्य शमन हो चुका है इसलिए साक्ष्य की विवेचना की जाना आवश्यक नहीं है।
7. अरविन्द अ0सा02 ने घटना के समय केवल स्वयं की उपस्थिति बतायी है अतः वह घटना का एकल प्रत्यक्ष साक्षी है जिससे उसकी साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में महत्वपूर्ण है परन्तु प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उसके द्वारा दी गयी न्यायालयीन साक्ष्य में उसने घटना के समय वाहन क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 को उपेक्षापूर्वक परिचालित किए जाने के तथ्य से इंकार किया है। अतः स्वयं फरियादी व आहत अरविन्द अ0सा02 द्वारा ही विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः एकल प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि दिनांक 17.02.15 को 13:00 बजे नैनोली के पास रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
8. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम0पी0-30-एम.जी.6915 आवेदक रामलखन की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0